रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 978] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2017/अग्रहायण 16, 1939
No. 978] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2017/ AGRAHAYANA 16, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1482(अ).—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संषोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) में तारीख 29 अगस्त, 2017 को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1116(अ), तारीख 29 अगस्त, 2017 द्वारा उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाषित किए गए थे;

जहाँ, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 29 अगस्त, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर यान नियम, 1989 का और संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (अठारहवां संषोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाषन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसमें इसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उप–नियम (3) में, ''(3) इन नियमों के अधीन पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेर्लस'' अक्षरों और अंकों के स्थान पर ''(4) इन नियमों के अधीन पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर्स'' अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल नियम में, नियम 47 में, उप–नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात;

''(5) नियम 125 डी में उल्लिखित सभी प्रकार के ट्रेलरों और सेमीट्रेलरों का पंजीकरण स्वतंत्र रूप से होगा।

परन्तु यदि कि वाहन मालिक या पंजीकरण कराने वाला पक्ष ट्रेलर और सेमीट्रेलर के एक वाहन के रूप में टोइंग माल वाहन के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत करने के लिए अनुरोध करता है तो पंजीकरण अधिकारी उन्हें एक वाहन के रूप में पंजीकृत करेगा।''

[फा. सं. आर.टी.11042/04/2015–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) के द्वारा अधिसूचना सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाषित किए गए थे और सा.का.नि. 1461 (अ), तारीख 27.11.2017 द्वारा अंतिम संषोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2017

G.S.R. 1482(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 1116(E), dated the 29th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 29th August, 2017 inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th August, 2017;

And, whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the Principal rules), in rule 47, in sub rule (3), for the figure and words "(3) The modular hydraulic trailers registered under these rules", the figure and words "(4) The modular hydraulic trailers registered under these rules", shall be substituted.

3. In the Principal rules, in rule 47, after sub-rule (4), following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) All types of trailers and semitrailers covered under rule 125D, shall be registered independently.

Provided that, if the owner or registering party, requests to register the trailer or semitrailer jointly with compatible towing vehicle as a single vehicle, the registering authority shall register them as a single vehicle.".

[F. No. RT-11042/04/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 1461(E), dated the 27th November, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.12.08 12:18:54 +05'30'